न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 30 / 2019
दायर दिनांक :– 02 / 05 / 2019
निर्णय दिनांक :– 27 / 09 / 2019

अनवान

श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह रावत निवासी लसाडिया तहसील भीम जिला राजसमंद

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2018 प्रकरण संख्या 24 / 2018 बअनवान उदयसिंह बनाम सरकार, पारित एवं उक्त आदेश के अनुक्रम में पारित नामान्तकरण संख्या 1485 दिनांक 01.01.2019

उपस्थित :–

1–श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम कालागुन, पटवार हल्का ताल देवगढ जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1171 / 65 रकबा 25 बीघा भूमि स्थित होकर उदयसिंह पिता रतनसिंह रावत के नाम गैर खातेदारी हक में दर्ज थी । उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 8.12.2017 को किया गया। उक्त आराजी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2017 को रिव्यु करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों को निरस्त करते हुए भूमि पुनः गैर खातेदारी हक से दर्ज करने सम्बन्धित नामान्तकरण सख्या 1485 दिनांक 01.01.2019 से पीडित होकर यह अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम कालागुन, पटवार हल्का ताल देवगढ जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1171 / 65 रकबा 25 बीघा भूमि स्थित होकर उदयसिंह पिता रतनसिंह रावत के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 08.12.2017 को रिव्यु करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों को निरस्त करते हुए

पुनः भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज करने सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 1485 दिनांक 01.01.2019 से पिडित होकर यह अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई । जिसे शामिल मिसल किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व ग्राम कालागुन, पटवार हल्का ताल देवगढ जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1171/65 रकबा 25 बीघा भूमि स्थित होकर उदयसिंह पिता रतनसिंह रावत के नाम पर गैर खातेदारी में दर्ज थी। श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह रावत ने अपने गैर खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 1171/65 रकबा 25 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच करके तहसील देवगढ भिजवाया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह के नाम पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 08.12.2017 को दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश की पालना में श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह को खातेदारी में अमलदरामद किया गया और नामान्तकरण संख्या 1420 दिनांक 18.12.2017 को स्वीकृत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का जो आदेश दिया उसे रिव्यु करने बाबत् दिनांक 28.10.2018 को सूचना पत्र दिया जिसमें सुनवाई की तारीख दिनांक 06.11.2018 नियत की गई। तहसीलदार देवगढ द्वारा दिनांक 28.10.2018 को जो सूचना पत्र श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह को दिया है। दिया गया सूचना पत्र 30 दिन के पश्चात एवं अपीलाण्ट को बिना सुने गलतरूपेण नामान्तरण सख्या 1485 दिनांक 01.01.2019 स्वीकृत किया गया । जबकि अपीलांट को खातेदारी दिनांक 08.12.2017 को दिये गये तथा खातेदारी निरस्त करने का सूचना पत्र दिनांक 28.10.2018 यानि 10 माह के बाद दिया गया । जबकि नियमों में प्रावधान हैं कि किसी भी निर्णय को रिव्यू करने के लिये 30 दिन की समय सीमा निर्धारित कि हुई है। अपीलान्ट इस आराजी भूमि का खातेदार था और इस भूमि से सम्बन्धित समस्त खातेदारी अधिकार मुझ अपीलान्ट में निहित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद आराजी संख्या 1171/65 का नामान्तकरण संख्या 1485 दिनांक 01.01.2019 को श्री उदयसिंह पिता रतनसिंह के नाम पर पुनः गैरखातेदारी से जो आदेश दिया है। वह अल्ट्रावायरस होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार देवगढ ने बिना आधार के मात्र लोगो की शिकायत को आधार बना कर तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में हुऐ प्रकाशन तथा बलॉक कॉग्रेंस कमेटी की शिकायत को आधार मानकर पूर्व में पटवारी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच पर दिये खातेदारी अधिकार को निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। तहसीलदार को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का भी कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1. 2010 एलसीआई पेज 526
2. सुभाष चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 08.08.2011
3. आरआरटी 2011 पेज नम्बर 408
4. आरएलडब्लयु 2005 पेज 131
5. आरएलडब्लयु 2003 पेज 509

6. आरआरडी 2018 पेज 395
7. डीएनजे 2013 पेज 171
8. आरआरटी 2012 पेज 622
9. आरआरटी 2014 पेज 1220
10. आरआरटी 2007 पेज 125
11. डीएनजे 2018 पेज 1422

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस उक्तानुसार दृष्टान्त पेश करते हुये निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काबिल निरस्त है, नामान्तकरण संख्या 1485 दिनांक 01.01. 2019 निरस्त किया जाकर पुनःभूमि अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज फरमाई जावे।

अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस पेश की गई । जिसे शामिल मिसल किया गया। दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार देवगढ द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल है। विधिनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही की गयी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे, उन खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय जो त्रुटि थी वो रेकर्ड देखने से प्रमाणित हो रही थी क्योंकि उक्त प्रकरण में खातेदारी अधिकार देते समय जो त्रुटियां थी उसका उल्लेख ग्रामवासियों द्वारा की गयी शिकायत तथा शिकायत के आधार पर राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में छपी खबर के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार की पुनः समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया था। इस संबंध में तहसीलदार देवगढ़ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए धारा 86 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए संबंधित खातेदार को नोटिस जारी कर रिव्यू की कार्यवाही की गयी है जो विधिनुसार सही है। उक्त रिव्यू की कार्यवाही में आवंटी द्वारा शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाने से रिव्यू के आदेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिववक्तागण की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार देने की मूल पत्रावली एवं उसमें संलग्न हल्का पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार निरस्त करने की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि तहसीलदार,देवगढ़ द्वारा अपने अधिनस्थ राजस्व कार्मिकों – गिरदावर एवं पटवारी की जाँच रिपोर्ट के उपरान्त खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लेकर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के तत्पश्चात इस आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हुआ है। यहां पर उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि इस प्रकरण में आराजी भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने वाले राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी भी वहीं है जिन्होने खातेदारी अधिकारों का अंकन, प्रमाणन एवं स्वीकृत किया है। इस प्रकार गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार दिये जाने एवं उसमें राजस्व रेकार्ड में अंकन करने तक किसी प्रकार का संशय, भ्रम एवं विधि की अवहेलना करना प्रकट नहीं होती है। यहां तक विधि सम्मत प्रकिया अपनाई गई है। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है।

परन्तु इन्ही प्रकरणों में समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमें से शिकायत का जब तहसीलदार देवगढ को ज्ञान होता है तब उसके द्वारा जो कार्यावाही अपनाई गई है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। इसके अवलोकन एवं उभयपक्ष को सुनने एवं उनकी लिखित बहस का अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार देवगढ द्वारा आनन फानन में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहां पर यह विवेचन करना भी उचित होगा कि अगर तहसीलदार देवगढ को किसी माध्यम से अपने द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रकिया पर संदेह होता तो उन्हे इस सम्बन्ध में उच्चतर राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी पेश करनी चाहिए थी। क्योंकि किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करना, इस प्रकरण में तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा इस प्रकरण में गैरखातेदारी को खातेदारी अधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

दिये जाने से पहले हल्का पटवारी एवं सम्बन्धित गिरदावर से रिपोर्ट ली गई तथा तहसीलदार द्वारा जॉच कर सन्तुष्टी होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार देने का निर्णय पारित किया गया है। जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार का अंकन किया गया है। इस प्रकार इस आराजी में तहसीलदार देवगढ द्वारा उसी मूल गैरखातेदार को आनन फानन में , बिना किसी विधिक कारण के, बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये सम्मन जारी करके उसी के पक्ष में पुनः गैरखातेदारी दर्ज करदी गई है। उक्तानुसार समस्त प्रकिया विधि विरूद्ध एवं आरम्भ से शून्य होने के कारण तहसीलदार देवगढ का आदेश दिनांक 15.11.2018 आरम्भ से ही निष्प्रभावी है। यहां पर यह भी विवेचना का विषय है कि राजस्व रेकार्ड में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी विधिक आधार अथवा विधिक कारण कि आवष्यकता होती है। अर्थात् बिना किसी विधिक आधार एवं विधिक कारण के राजस्व रेकार्ड में किसी के खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चूंकि तहसीलदार देवगढ द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान एवं बिना किसी विधिक कारण के ही दिनांक 01.01.2019 को नामान्तरण संख्या 1485 स्वीकृत करके अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त करके पुनः गैरखातेदारी अधिकार दर्ज किये गये है, जो कि विधि का घोर उल्लंघन है। क्योंकि अपीलान्ट इस भूमि का खातेदार हैं। तथा दिनांक 18.12.2017 को नामान्तरण संख्या 1420 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में इसके खातेदारी अधिकारों का अंकन है, जिसे बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रावधान के तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार देवगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1485 दिनांक 01.01.2019 को भी अपास्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2018 आरम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने के कारण उसके द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1485 दिनांक 01.01.2019 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ लौटायी जावे।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द